न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य आर0ए0एस

मुकदमा नं0 103/2018

आसीन पुत्र भूरे खां जाति मेव निवासी सतवाडी तहसील पहाडी

सायल

बनाम

1. इसराईल पुत्र टुण्डल जाति मेव निवासी ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी
2. राज0सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील सायल
श्री सतीश शर्मा वकील गैरसायल संख्या 1

दिनांक :– 02.12.2019

निर्णय

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट के तहत इस आशय के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 760/0.40, 760/1/0.19, है0 बांके ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 760/0.40 को सायल ने गैरसायलान से दिनांक 15.06.1996 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय किया था। और सायल ने कब्जा ले लिया जिस पर सायल आज भी काबिज है। और खसरा नम्बर 760/0.19 गैरसायल का रकबा है। जिस पर गैरसायल आज भी काबिज है सायल व गैरसायल अपने–अपने हिस्से पर काबिज है पूर्व में उक्त नम्बर एक ही था। सायल सीधा सादा व्यक्ति है जबकि गैरसायल चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कि मौके पर सायल को बुरी आराजी देना चाहता है और अच्छी आराजी को स्वयं हडपना चाहता है मौके पर दोनो नम्बर मिले हुये है। सायल मौके पर पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण बो रहा हूँ और गैरसायल पश्चिम दिशा में जोत बो रहा है। सायल के जोतने बोने के अनुसार तरमीम कराने हेतु कहा तो गैरसायल ने सायल को धमकाया और कहा कि फ्न्ट वाली अच्छी जमीन की मैंने तरमीम करा ली है तुम्हे तो पीछे की तरफ यानि उत्तर दिशा में दिया है। सायल ने दिनांक 04.12.2018 को गैरसायल से तरमीम कराने हेतु कहा तो गैरसायल ने स्पष्ट मना कर दिया। गैरसायलान आराजी को रहनवय मुन्तकिल करना चाहता है। अतः गैरसायलान को ताफैसला मुकदमा पाबन्द फरमाया जावें कि वे कब्जे काश्त सायल में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें एवं बिना विभाजन कराये आराजी को रहन वय मुन्तकिल नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया । गैरसायल संख्या 1 मय वकील न्यायालय में उपस्थित आये जबाब पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 760/1/0.19 बांके ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी में स्थित है को मुझ गैरसायल द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया गया था और खरीद के बाद से आज तक में निरन्तर रूप से अपनी आराजी पर काबिज काश्त हूँ तथा उक्त नम्बर की तरमीम भी हो चुकी है और मुताबिक तरमीम गैरसायल अपनी खरीदशुदा आराजी पर काबिज काश्त है। जिससे सायल का किसी प्रकार का कोई लेना नहीं है। सायल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायल को तंग व परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है। जो कि मुताबिक कानून खारिज किये जाने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावें ।

हमने वकील फरीकेन की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजी में सायल का हक बनता है या नहीं यह दावें में तय होगा। मूल दावे के निर्णय तक गैरसायल संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 760/0.40, 760/1/01.19 बांके ग्राम सतवाडी तहसील पहाडी पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner